Procedure for borrowing Housing loans and its payment

6750. SHRI H. N. NANJE GOWDA:

SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under Delhi Development Act, 1957, rules are required to be framed regarding the procedure for borrowing money as loans and their repayments;

(b) whether such rules have not been framed for the last 20 years;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) action contemplated in the matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) to (d) Under section 56(2) (mm), which was introduced in Delhi Development Act, 1957 by an amendment in 1963, rules were required to be framed about the procedure to be followed for borrowing moneys by way of loans or debentures and their repayment. The rules governing the issue of debentures by the Delhi Development Authority have already been framed in 1977. As regards borrowing of moneys by way of loans, terms and conditions for raising of such loans by the Delhi Development Authority were being got approved by the Central Government in each case individually. However, rules on this subject also are being framed now.

Applications for telephone connections pending in Jodhpur and Barmer, Rajasthan

6751. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that applications for getting telephone connections are pending at present in Jodhpur and Barmer;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the steps taken or proposed to be taken for providing them telephone connections?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) and (b). There is no waiting list at Barmer. At Jodhpur 1500 applicants were on the waiting list as on 1-7-1980.

(c) The capacity of the existing Jodhpur exchange is proposed to be expanded by 1000 lines during the current financial year and during each of the next two years.

प्राय: सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता का अनुपात

6752. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण:** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राय: सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सरकार से 1 अप्रैल, 1979 तक 100 प्रतिशत सहायता मिला करती थी,

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1979 के बाद से यह सहायता अनुपात कम करके केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत और प्रत्येक राज्य का 50 प्रतिशत कर दिया गया और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके कारण राजस्थान जैसे निर्धन राज्य इस उद्देश्य के लिये अपना 50 प्रतिशत का योगदान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण बाड़मेर, जैसेलमेर, जोधपुर, बीकानेर चूरू आदि जैसे मरुस्थलीय जिले प्रगति और विकास से वंचित रह गये हैं और यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्रों को विशेष सहायता देगी;

(ख) क्या वर्ष 1980-81 के लिये प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिये किया गया धन का आवंटन वर्ष 1978-79 और 1979-80 में किये गये आवंटन की तुलना में कम है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार इस अकाल समस्या का स्थानीय समाधान और मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास कितने वर्षों में करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अप्रैल, 1974 से मार्च, 1979 तक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केवल 50 प्रतिशत सहायता दी गई थी। 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शीत शुष्क क्षेत्रों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए शतप्रतिशत सहायता दी गई थी । वर्ष 1977-78 के दौरान राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के गर्म शुष्क क्षेत्रों को सभी योजनाओं के लिए शत प्रतिशत सहायता दी गई थी और वर्ष 1978-79 के दौरान वनरोपण तथा चरागाह, पशुपालन, डेरी, भूजल विकास तथा जल संचयन योजनाओ के लिए कृषि, बागवानी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया गया था ।

(ख) केवल मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुपात 1 अप्रैल, 1979 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था । यह निर्णय राज्य सरकारों को निधियो का अधिकाधिक हस्तातरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1980-81 हेतु किए गए धन के आवंटन 1979-80 के दौरान किए गए आबंटनो के बराबर है । तथापि, वर्ष 1980-81 के लिए किये गये निधियों के आवंटन कुछ राज्यों में 1980-81 में कम बजट प्रावधानो और विभिन्न जिलो में "अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र की सीमा" से अन्तर्गत लाए गये "खंडों की संख्या" में निधियों के आवंटन के आधार में परिवर्तन होने की वजह से वर्ष 1978-79 के दौरान किए गये बजट प्रावधानो से कम हैं ।

(ङ) मरुभूमि क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं । यद्यपि इन क्षत्रों के पूर्व विकास के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है फिर भी चल रही योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से मरुभूमि क्षेत्रो में लोगों के आय स्तरों और उनके जीवन स्तर में अवश्य ही सुधार होगा ।

Guidelines for New Sugar Units

6753. SHRI B. V. DESAI:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the new guidelines issued by the Union Government for new sugar units have not made much impact on the sugar production and as well as its price decrease;

(b) if so, to what extent these guidelines will be advantageous to the sugar units;

(c) how many new sugar units were set up after new guidelines were issued; and

(d) the areas where they have been set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) The guidelines recently issued were for licensing of new sugar factories